


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 303 /2024 दिनांक :2) .12.2024

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ./247/2024 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा श्रीमती अनिता टेलर (RJ00590), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर (भीलवाड़ा) को दिनांक 14.10.2024 से 25.10.2024 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 11.10.2024 से 13.10.2024 एवं 26.10.2024 से 27.10.2024के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 14.10.2024 का एक दिवस का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/47/2008/ 10754

दिनांक :2) .12.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 5719 दिनांक 12.12.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अनिता टेलर (RJ00590), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर (भीलवाड़ा)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गंगापुर (भीलवाड़ा)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, भीलवाड़ा।



सहायक रजिस्ट्रार